www.cbi.gov.in

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

(सूचना अनुभाग)

5-बी, सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स, लोधी रोड,

नई दिल्ली-110003

प्रेस विज्ञप्ति

नई दिल्ली, 04.05.2017

सीबीआई ने 3871.71 करोड़ रू. (लगभग) की बैंक धोखाधड़ी के आरोपों से सम्बन्धित मामले की जारी जॉंच में एक प्राइवेट फर्म के दो प्रोत्साहकों/ निदेशकों को गिरफ्तार किया

सीबीआई ने बड़े पैमाने पर हुए षड़यंत्र एवं अन्य मद में धन के प्रयोग का पता लगाने व धनराशि के विनिर्दिष्ट प्रयोग का खुलासा करने के मामले की जारी जॉंच में कोलकाता व दिल्ली की प्राइवेट फर्म के दो आरोपियों यथा प्रोत्साहकों, निदेशकों को आज गिरफ्तार किया।

14 सदस्यी बैंक समूह (यूकों बैंक द्वारा नेतृत्व प्राप्त) से 3871.71 करोड़ रू. (लगभग) की धोखाधड़ी के आरोप से सम्बन्धित यूको बैंक की शिकायत पर कोलकाता एवं दिल्ली की प्राइवेट फर्म ; इसके प्रोत्साहकों-निदेशकों ; अन्य कार्यकारी अधिकारियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120-बी के साथ पठित धारा 420, 467, 468 व 471 के तहत मामला दर्ज हुआ। ऐसा भी आरोप था कि आरोपियों ने धनराशियों को अन्य मद में प्रयोग, झूठे पूंजीगत व्यय की उच्च लागत दर्शाने, सम्बन्धित कम्पनियों में संदिग्ध निवेश, गलत तरीके से देनदारों को बढ़ाने, सम्बन्धित/ संदिग्ध पक्षों को उच्च कीमत पर बिक्री, कपटपूर्ण हाई सी ट्रान्जैक्सन्स ; धनराशि के प्रयोग में नियमों का पालन न करने , समूह सदस्यों की अनुमति के बिना संयुक्त गारंटी देने आदि के माध्यम से 14 सार्वजनिक बैंकों के साथ धोखाधड़ी की।

ऐसा आगे आरोप था कि देनदारों/ ऋणदाताओं के वास्तविक व्यापार नही थे एवं उक्त फर्म के पक्ष में ज़ाली बिलों को जारी किया गया। 150 से अधिक नाम मात्र की फर्मों को कथित रूप से निश्चित कमीशन, झूठी चालानों (इनवायसेस) को प्राप्त करने हेतु एवं बैंकों की धनराशि को अन्य मदों में लगाने के बदले में दलालों के समूह के माध्यम से व्यवस्थित किया। ऐसा भी आरोप था कि कुछ आपूर्तिकर्ता गैर-मौजूद थे एवं कुछ अन्य फर्मों का उक्त फर्म के मध्य वास्तविक व्यवसाय नही था और उक्त प्राइवेट फर्म की धनराशि को अपने खातों द्वारा निकाल लिया। आरोपियों में से एक आरोपी, धोखाधड़ी की अवधि के दौरान कम्पनी का चेयरमैन था एवं वर्तमान में भारत से बाहर बसा है। अपने व्यापारिक लेन-देन के कथित जाली दस्तावेजों को जमा कर यूनाइटेड अरब बैंक से ए.इ.डी. 160 मिलियन के गबन पर यू.ए.इ. प्राधिकारियों ने आरोपी के विरूद्ध रेड कार्नर नोटिस जारी किया।

गिरफ्तार आरोपियों को दिल्ली की नामित अदालत में कल पेश किया जाएगा

आगे की जाँच जारी है।

****